प्रेस नोट दिनांक 02.10.2024

थाना चकिया जनपद चंदौली

पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चकिया पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

थाना चकिया पुलिस द्वारा हत्या करने वालें 02 अभियुक्तों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण मे थानाध्यक्ष अतुल कुमार कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली द्वारा हत्या करने वाले अपराधियो के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा कोतवाली चकिया क्षेत्र मे हत्या करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर विजेन्द्र पुत्र रामलाल निवी ग्राम टकटकपुर थाना चकिया जिला चन्दौली व सदस्य पंकज कुमार पुत्र स्व0 रूपचन्द्र निवासी ग्राम टकटकपुर थाना चकिया जिला चन्दौली के विरुद्ध दिनाँक 01.10.2024 को मु0अ0स0 171/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गैंग लीडर–

1.विजेन्द्र पुत्र रामलाल निवी ग्राम टकटकपुर थाना चकिया जिला चन्दौली

गैंग का सदस्य-

1.पंकज कुमार पुत्र स्व0 रूपचन्द्र निवासी ग्राम टकटकपुर थाना चकिया जिला चन्दौली

गैंग लीडर विजेन्द्र का अपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0-171/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.मु.अ.सं. 086/24 धारा 302/34 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली

गैंग सदस्य पंकज कुमार का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-171/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.मु.अ.सं. 086/24 धारा 302/34 भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

□थाना सकलडीहा पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान दो अभियुक्तगण को अवैध देशी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाये जाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष सकलडीहा संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में दिनांक 01.10.2024 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान बहद ग्राम कस्बा सकलडीहा से दो अभियुक्तगण को कुल 73 अवैध देशी पावर ब्राण्ड की शराब प्रति शीशी 200 ML कुल मात्रा 14 लीटर 600 मिली ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-164/2024 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण–

1.मु0अ0सं0- 164/2024 धारा 60 उ0प्र0 अबकारी अधिनियम कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

बरामदगीः-

1.73 अदद अवैध देशी पावर ब्राण्ड शराब (प्रत्येक शीशी 200 ml, कुल 14 लीटर 600 मिली अवैध देशी शराब)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1.भरत सिंह पुत्र विजय बहादुर निवासी ग्राम खडेहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.राजन राय पुत्र पिन्टू राय निवासी ग्राम खडेहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 धर्मदेव सिंह थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

थाना बबुरी जनपद चंदौली

□थाना बबुरी पुलिस द्वारा चोरी के 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

□गिरफ्तार व पुलिस अभिरक्षा में लिये गये अभियुक्त और बाल अपचारी के कब्जे से चोरी का माल किया गया बरामद।

चंदौली:-पुलिस अधीक्षक चंदौली,श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह के निर्देशन एवम् क्षेत्राधिकारी पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी जनपद चन्दौली के कुशल नेतृत्व में थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा चोरी के 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार एवं 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का विवरण- दिनांक 30.09.2024 थाना बबुरी अतंर्गत ग्राम दूदे में परी माता मन्दिर से अज्ञात चोरो द्वारा दान-पात्र व साउन्ड मशीन चुराकर ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 105/24 धारा 305(डी) बीएनएस पंजीकृत है। आज दिनांक 02.10.2024 को चन्दाइत मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान बबुरी की तरफ से दो लडके साइकिल पर बीच में बोरी रख कर आते दिखाई दिये और सामने पुलिस चेकिंग होता देखकर हडबड़ा गये दोनों लड़को को रोक कर नाम पता पूछा गया तो पहला व्यक्ति अपना नाम सूरज पटेल पुत्र गुरुचरण पटेल निवासी फतेहपुर शाहपुरी थाना अलीनगर जिला चन्दौली व दूसरा (बालअपचारी) साइकिल के बीच में रखे बोरी को खोल कर देखा गया तो उसमें काले रंग का 01 साउण्ड बाक्स व एक स्टील का स्टैण्ड लगा दानपात्र जिसका लाँक बन्द है बरामद हुआ। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए मय माल अभियुक्त को गिरफ्तार एंव बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.सूरज पटेल पुत्र गुरुचरण पटेल निवासी फतेहपुर शाहपुरी थाना अलीनगर जिला चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष

2. एक बाल अपचारी

बरामदगी:- 1.01 साउण्ड बाक्स 2.एक स्टील का स्टैण्ड लगा दानपात्र

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1.उ0नि0 रामअवध यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 मधुसूदन राय थाना बबुरी जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 अवधेश नारायन सरोज थाना बबुरी जनपद चन्दौली

4.उ0नि0 बलबीर सिंह यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली

5.हे0का0 अशोक यादव थाना बबुरी जनपद चन्दौली।